शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
आदेश

पटना, दिनांक 02/04/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–290/2025–1179/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–13633/2025 सत्यनारायण सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–29.08.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

"...Learned counsel for the State submits that the petitioners should be directed to file individual representation giving details of their eligibility which shall be considered by the Director Primary Education. The counsel for the petitioner undertakes to do so, within the time specified..."

3. उक्त के क्रम वादीगण द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक–1048 दिनांक–16.03.2026 द्वारा दिनांक–18.03.2026 को सुनवाई निर्धारित करते हुए वादीगण के पक्ष को सुना गया।

4. सुनवाई के क्रम में वादीगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका नियोजन बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2012 अंतर्गत वर्ग–1–5 हेतु बी.एड. योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप हुआ है। साथ ही उनके द्वारा नियोजन के उपरांत 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम भी पूर्ण किया गया है। वादीगण का दावा है कि उनका मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 से आच्छादित है तथा उक्त के समरूप एक अन्य वाद सी०डब्लू०जे०सी० सं०–9416/2019 में दिनांक–04.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1790 दिनांक–16.10.2024 निर्गत किया गया है। अतः वादी द्वारा उपरोक्त के आलोक में ही नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान का दावा किया गया है।

5. आदेश ज्ञापांक–1790 दिनांक–16.10.2024 की विभागीय आंतरिक समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई की वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के वादीगणों से भिन्न है। इन दोनों में कोई भी सदृश्यता नहीं है। प्रस्तुत वाद के वादीगण का नियोजन वर्ष 2013 से 2016 के मध्य में बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 एवं संसोधित नियमावली, 2014 के अंतर्गत किया गया जबकि एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के वादीगणों की नियुक्ति वर्ष 1999 से 2005 के बीच बिहार प्रारंभिक नियुक्ति नियमावली, 1991 (यथा संसोधित) के अंतर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किया गया था। वर्ष 1999 में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाय जिसके उपरांत इनके वेतनमान में वृद्धि किया जाना था। किन्हीं कारणों से मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुछ शिक्षकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण में देर से भेजा गया जिस कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने में विलम्ब हुआ था। यह बात एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 में पारित न्यायादेश दिनांक–27.09.2016 से स्पष्ट है। इन वादीगणों को विलम्ब से वर्ष 2007–2009 तथा 2008–2010 में प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया था जिसके कारण इनका प्रशिक्षण 2010 एवं 2011 में पूर्ण हो

पाया। सामान्यतः प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाना था परन्तु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा उक्त वर्णित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खेद जताया गया था जिसके उपरांत दिनांक–01.07.2011 को यह निर्णय लिया गया कि सभी डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को छः माह का विशेष समृद्ध कोर्स कराया जाय।

6. माननीय न्यायालय द्वारा न्यायादेश दिनांक–27.09.2016 में यह बात अंकित की गई कि संबंधित वादीगणें को अग्रतर विलंब करते हुए वर्ष 2014 में छः माह का विशेष समृद्ध कोर्स कराया गया जिस कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने में और भी विलंब हुआ जिसमें संबंधित वादीगणों का कोई दोष नहीं था। अंततः इन वादीगणों को वर्ष 2014 में प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा यह बात भी विशेष तौर पर अंकित की गई कि इन वादीगणों का कोई दोष न होने के कारण नियमावली 2011 के प्रावधानों के अनुरूप वरीयता का भी नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थिति में संबंधित वादीगणों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सरकार द्वारा किये गये विलंब के आधार पर इन वादीगणों के मामले में डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के आशय का न्यायादेश पारित किया गया था। यह न्यायादेश केवल संबंधित वादीगणों के विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर पारित किया गया था तथा यह आदेश सामान्य रूप से सभी मामलों में लागू नहीं होता है।

7. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी का नियोजन वर्ष 2014 में बी.एड. अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षक के रूप में किया गया था तथा नियुक्ति के उपरांत इन्हें अप्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान दिया जा रहा था। बी.एड. अर्हता होने के पश्चात् वादी की नियुक्ति कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के रूप में NCTE की अधिसूचना दिनांक–23.08.2010 के आलोक में की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी प्रावधानित था कि बी.एड. योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। उक्त अधिसूचना दिनांक–23.08.2010 को NCTE की अधिसूचना दिनांक–28.06.2018 द्वारा संसोधित किया गया परन्तु बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को छः माह का सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा किये जाने का शर्त्त निर्धारित किया गया था।

8. NCTE द्वारा किये गये प्रावधानों यह स्पष्ट होता है कि बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 में नियुक्त किये जाने के क्रम में उन्हें छः माह का विशेष सेतु पाठ्यक्रम पूरा किया जाना आवश्यक है तथा NCTE की यह मंशा नहीं थी कि बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थी केवल बी.एड. योग्यता के आधार पर ही कक्षा 1 से 5 में पठन–पाठन हेतु नियुक्त किये जाय। बी.एड. को डी.पी.ई. अथवा डी.एल.एड. के समरूप घोषित नहीं किया गया था। नियमावली 2012 में यह कहीं भी प्रावधानित नहीं है कि छः माह का संवर्द्धन कोर्स कर लेने के उपरांत संबंधित बी.एड. योग्यताधारी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक को नियुक्ति की तिथि अथवा बी.एड. योग्यता प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय।

9. वादीगण के मामले में विश्लेषन से स्पष्ट होता है कि वादीगण का दावा प्रशिक्षणचर्या कार्यक्रम में विभाग द्वारा नामांकित कराये जाने के क्रम में हुए विलंब के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा कोई विलंब परिलक्षित भी नहीं होता है। वादी द्वारा उनके समरूप किसी कनीय शिक्षक को उनके पूर्व प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किये जाने का

कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। वादी द्वारा उनका मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के वादीगणों के समरूप होने का दावा किया गया जो कि आधार विहीन है। एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 में पारित आदेश विशेष परिस्थिति में केवल संबंधित वादीगणों के मामले में लागु होता है न कि अन्य मामलों में।

10. उक्त परिप्रेक्ष्य में वादीगण का मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के सदृश्य नहीं है तथा वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या–1699/2013 के विशेष परिस्थिति में दिये गये निर्देश या लाभ से आच्छादित नहीं होता है। साथ ही सी०डब्लू०जे०सी० सं०–9416/2019 में दिनांक–04.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–1790 दिनांक–16.10.2024 को पुनरीक्षित करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक–1017 दिनांक–12.03.2026 द्वारा वादी के दावा को अस्वीकृत किया गया है।

अतएव उक्त अभिमत के साथ प्रस्तुत वाद के वादीगण के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07/मु0–01–290/2025............................पटना, दिनांक..................................

प्रतिलिपिः– 1. Satyanarayan Singh, Son of Rajvansh Singh, Resident of village-Khatoliya, P.O.-Khudia, P.S.-Sheosagar, Distt.-Rohtas, at Present Posted at N. P.S. Saunja Sheo sagar Rohtas.

2. Santosh Kumar, Son of Shiv Shankar Prasad, Resident of village and Post-Darigaon, P.S.-Sasaram, Rohtas, At Present posted at Primary School Bhagavaliya, Shivsagar Rohtas.

3. Varun Kumar, Son of Saroj Kumar, Resident of village and P.O.-Thanua, P.S.-Shivsagar, Distt.-Rohtas At Present posted at Primary School Sondihara Shivsagar Rohtas.

4. Pravin Kumar Singh, Son of Vijay Shankar Singh, Resident of village-Shahpur, P.O.-Telari, P.S.-Shivsagar, Distt.-Rohtas, At Present Primary School Kandadih Rohtas.

5. Vandana Kumari, D/O-Prabhat Kumar Resident of village- Gansadih, P.O.-Jaipur, P.S.-Akorhi Gola, Distt.-Rohtas, At Present Posted at N. P.S. Mauni Shivsagar Rohtas.

6. Reyaj Ahamad, Son of Najmul Beg, Resident of village- ward No.-11 Hariharganj P.S.-Nasriganj, Distt.-Rohtas, At Present Posted at Primary School Nasriganj Rohtas.

7. Somnath Gupta, son of Nemchand Prasad,. Resident of Mohalla-Chainer Takiya ward No.-13, P.S.-Sasaram, Distt.-Rohtas, At Present Posted at Middle School Sukunhi Shivsagar Rohtas.

8. Ravi Kumar Chaudhary, Son of Dineshwar Prasad, Resident of Mohalla-Prem Nagar ward No.-09, Nokha, P.S.-Nokha, Distt.-Rohtas, At Present U.M.S. Hamir Dihari Rohtas.

9. Tabassum Ara, D/O-Md. Anwar Hussain, Resident of village- Dhangain, P.S.-Bikramganj, Distt.-Rohtas, At Present Posted at G. M.S. Davath Rohtas.

10. Md. Islam Ali, S/O- Md. Jalil Ansari, Resident of village Ward No.-02 Nasriganj P.S.-.. .Distt.-Rohtas, At present Posted at Primary School Kaupa- 2, Rohtas.

11. Md. Firoz Akhtar, S/O- Md. Zahiruddin, Resident of village ward No.-01, Nasriganj P.S.-Nasriganj, Distt.-Rohtas, At Present Posted at Primary School Kanchanbigaha P.S.-Karakat Rohtas.

12. Richa Sagar, W/O- Babloo Kumar, Resident of village- Badai, P.S.- Shivsagar, Distt.-Rohtas, At Present Posted at Primary School Kalashahar Shivsagar Rohtas.

13. Anju Kumari, D/O- Mukti Narayan Mishra, Resident of village- Sisrit, P.S- Nokha, Distt.-Rohtas, At Present Posted At Primary School Maldahnha Shivsagar Rohtas.

14. Balwant Kumar Singh, S/O- Ram Bachan Singh Resident of village- Chitauli, P.S. Ramdihra, Distt.-Rohtas At Present posted at Middle School Baknaura Rohtas.

15. Md. Neyaz, S/O- Ahmad Ali Ansari, Resident of village Ward No.-14 Goverdhan Asthan Pirahibagh, P.S.-Daudnagar, Distt.-Aurangabad, At Patna High Court Present posted at Middle School Sukunhi Shivsagar

16. Kumari Tilotama, W/O- Rakesh Kumar, Resident of Mohalla-Postal Colony Fazalganj, P.S.-Fazalganj, Distt -Sasaram Rohtas, At Present Posted at Primary School Maldanha Shivsagar Rohtas.

17. Kavita Kumari, W/O- Anil Kumar Singh, Resident of village- Krishnapur, Jabra P.S.-Nokha, Distt-Rohtas, At Present Primary School Karup Shivsagar Rohtas.

18. Shah Alam, S/O- Noorul Hassan, Resident of Mohalla- Sherganj Sasaram, Distt.-Rohtas, At Present posted at Middle School Gurumukhi Rohtas

19. Md. Mumtaz Alam, S/O- Abdul Monaf Ansari Resident of village- and P.O.- Srikhinda, P.S.- Nokha, Distt.-Rohtas, At Present posted at Middle School Dharupur Nokha Rohtas.

20. Lakshaman Verma, Son of Ganeshi Mahato Resident of village-P.O.-Arjun Tol, P.S.-Chenari, Distt.-Rohtas, At Present Posted at Primary School Kalasahar Shivsagar Rohtas.

21. Rupa Kumari, W/o- Gautam Kumar, Resident of village and P.O.-Kushi, P.S. Karakat Gorari, Distt.-Rohtas, At Present posted at Primary School Samhuta Mathiya Karakat Rohtas.

22. Gayatri Kumari, W/O-Udai Kumar Sinha, Resident of village- ward No.-23, Idjah P.S.-Dehari-on-sone, Distt.-Rohtas, At Present Middle School Sarawagi Dehari-on-sone.

23. K. M. Neelu Kumari @ Kumari Neelu kumari @ Ku. Neelu kumari W/O- Ram Janam Vishwakarma, Resident of village-Dalmiya, Nagar New Area Jora Mandir Tara Kutir Lane, P.S.-Dehari-on-Sone Distt.-Rohtas, At Present posted at Middle School Bastipur Dehari.

24. Rekha Singh, W/O- Avinash Bahadur Singh, Resident of village and P.O.- Kirhindi, P.S.-Shivsagar, Distt.-Rohtas, At Present Posted at Primary School Ghatikan Shivsagar Rohtas.

25. Jyoti Kiran, W/O-Upendra Kumar Singh, Resident of village Badiha, P.S.-Shivsagar, Distt.-Rohtas, At Present Posted at Primary School Masihabad Shivsagar Rohtas.

26. Nazia Ahmad, D/O- Fakharuddin Ahmad, Resident of Mohalla- NiliKothi ward No.-31 Dehari-on-Sone, P.S.- Dehari-on-Sone, Distt.-Rohtas, At Present posted Primary School vishunpura Rohtas.

27. Ayesha Khatoon, W/O-Md. Akram, Resident of village- 265/318 Gulistan Muhallah, P.S.-Phulwarisharif, Distt.-Patna, At Present posted at Primary School Tantitola Kodara Rohtas.

28. Reshma Bano, W/O- Alauddin, Resident of Village and P.O.- Aurangabad Saraiya, P.S.-Tilouthu, Distt.-Rohtas, At Present posted at Primary School Mallah Tolasaraiya Tilouthu Rohtas.

29. Paras Nath, S/O- Ram Chandra, Resident of village and P.O.- Sara P.S.-Tarari, Distt.-Bhojpur At Present posted at Middle School Jagdishpur Karakat Rohtas.

30. Poonam, W/O- Manoj Kumar Ojha, Resident of village and P.O.-Mohaniya, P.S.-Shivsagar, Distt.-Rohtas, At Present Posted at Middle School Patardhi Shivsagar Rohtas.

31. Kumar Ranoj Ranjan, S/O- Tej Narayan Singh, Resident of village- Saraon Tola, P.O.-Saraon, P.S.- Natwar Dinara, Distt.-Rohtas, At Present posted at N. P.S. Gangati Dih Dawath Rohtas.

32. Chandra Bhan, S/O-Bharat Ram Resident of village and P.O.-Agrer Kala, P.S.-Suryapura, Distt.-Rohtas, At Present posted at Middle School Chatara Dawath Rohtas.

33. Ravish Chandra, S/O- Chhathu Singh, Resident of village- Khaira Bhudhar, P.S.-Natwar Rohtas.

34. Shiv Kumar Singh Yadav, S/O-Parasnath Singh Yadav, Resident of village Devopur, P.O.-Naisara, P.S.-Saidpur, Distt.-Gajipur state of Utter Pradesh At Present posted at Upgraded Middle School Hathdinha Davath Rohtas.

35. Deepak Kumar, S/O-Ram Pravesh Ram, Resident of village- Ward No.-20 New Diliyan Near Gautam School, P.S.-Dehari, Distt.-Rohtas, At Present posted At Primary School Bensagar Karakat.

36. Dharmendra Kumar, S/O- Ramayan Singh, Resident of village- Nishija, P.O.-Sabar, Distt.-Kaimur, At present posted at Primary School Chikhuriya Chenari Rohtas.

37. Farzana Khatoon, w/o-Neyazullah Siddiqui, Resident of village-Ward No.-27 New G.T. Road Dehari P.S.-Dehari On Sone Distt.-Rohtas, At Present Posted at Primary School Chiraiyadih Akorhi Gola Rohtas.

38. Rumana Firdous, D/O-Jamal Kibria Resident of village ward No.-31Neel Kotni Dehari, P.S.-Dehari, Distt.-Rohtas, At Present posted at Primary School Langeshar Bigaha Akorhi Gola Rohtas.

39. Sandeep Kumar Singh, Son of Udai Pratap Singh, Resident of village-Rediyan, P.O.-Telari, P.S.-Chenari, Distt.-Rohtas, At Present posted at Primary School Anirauli Shivsagar Rohtas.

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07 / मु0–01–290 / 2025......1178..........पटना, दिनांक.....02/04/26......

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/04/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–290 / 2025......1178..........पटना, दिनांक.....02/04/26......

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/04/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।